कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email-pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक– 1362 राँची, दिनांक– 02/11/2021

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो।
वन संरक्षक प्रादेशिक बोकारो।
वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़।

विषय :– पुलिस लाईन रामगढ़ के भवन निर्माणार्थ हेतु 13.047 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, बोकारो का पत्रांक 847 दिनांक 27.09.2021

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रांसगिक पत्र द्वारा प्रस्ताव संख्या FP/JH/others/30674/2017 construction of Police Line Ramgadh Building हेतु कुल 13.047 हे0 मात्र (JJ) जंगल–झाड़ी वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy इस कार्यालय में प्राप्त हुई हैं। प्रस्ताव के पूर्ण समीक्षा के क्रम में निम्नलिखित कमियाँ/त्रुटियाँ है :–

1. चुँकि अपयोजित होने वाली सम्पूर्ण वनभूमि का किस्म जमीन जंगल–झाड़ी है। अतः इसके उपयोग हेतु संबंधित उपायुक्त/आयुक्त का अनापति प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।
2. चुँकि प्रस्तावित construction of Police Line Ramgadh Building हेतु प्रस्ताव non site specific है अतः इसे कही भी स्थापित किया जा सकता है। वनभूमि में Police Line स्थापित किये जाने का औचित्य क्या है? के संबंध में। स्पष्ट प्रतिवेदन प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।
3. प्रस्ताव के साथ Certificate from concerned DC that no alternative suitable non-forest land. संलग्न नहीं है।
4. प्रस्ताव के साथ Cost Benefit analysis report संलग्न नहीं है।
5. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि का किस्म जंगल दर्ज है अतः भारत सरकार के दिशा–निर्देश (Hand book) 2.4 के (i) अनुसार क्षतिपूरक वनरोपण हेतु ऐसे मामले में अपयोजित होने वाली वनभूमि के बदले दो गुणा गैर वनभूमि उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। अर्थात इस परियोजना हेतु कुल 26.10 हे0 गैर वनभूमि चिन्हित की जानी अपेक्षित है।
6. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयनित गैर वनभूमि हेतु संबंधित राजस्व पदाधिकारी द्वारा non incombrance प्रमाण पत्र एवं अतिक्रमण मुक्त प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं है।
7. प्रस्ताव के साथ संलग्न वृक्षों की गणना सूची के अनुसार वृक्षों की कुल सं0 113 है। जिसमें कितने वृक्षों का पातन होना है, से संबंधित प्रतिवेदन अप्राप्त है।
8. प्रस्ताव के साथ CWLW का मंतव्य संलग्न नहीं है।

उपरोक्त कमियों/त्रुटियों के अभाव में प्रस्ताव पर अग्रतर कार्रवाई करना संभव नहीं अतः अनुरोध है कि उपरोक्त कमियों/त्रुटियों का निराकरण अविलम्ब इस कार्यालय में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। ताकि प्रस्ताव को स्टेज–I हेतु राज्य सरकार को अग्रासारित किया जा सके।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

H:\Vikash\Kaimuddin Sir\पुलिस लाईन रामगढ़ भवन निर्माणार्थ 13.047 हे0.docx

2.11.21